राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एंव पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज विभाग)

क्रमांक एफ 165()ले.ब./परावि/एफएफसी/2019–20/3495 जयपुर, दिनांक 19-11-2019

प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति संख्या– 09/2019–20

14वें केन्द्रीय वित्त आयोग के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2019–20 में देय ग्राम पंचायतों को सामान्य बुनियादी अनुदान की प्रथम किश्त की राशि रू. 184050.50 लाख (अक्षरे राशि रूपये अठारह अरब चालीस करोड़ पचास लाख पचास हजार मात्र) ग्राम पंचायतों के बैंक खातों में (ऑनलाईन) ई–पंचायत सॉफ्टवेयर के माध्यम से हस्तान्तरण किए जाने की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति संख्या 04/2019–20 कमांक 1784 दिनांक 16.07.2019 के कम में संलग्न सारणी अनुसार ग्राम पंचायतों के बैंक खातों में त्रृटि होने के कारण राशि हस्तान्तरित नही हो पायी है, जिसके फलस्वरूप 60 दिवस से अधिक समय होने के कारण ग्राम पंचायतों को आवंटित राशि रू. 22482212.00 Minus Expenditure में हस्तान्तरित हो गई है। अतः अक्षरे राशि रूपये दो करोड़ चौबीस लाख बियासी हजार दो सौ बारह मात्र संलग्न सारणी अनुसार ग्राम पंचायतों के बैंक खातों में हस्तान्तरित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

इस राशि का उपयोग विभाग द्वारा 14वें केन्द्रीय वित्त आयोग के तहत प्राप्त अनुदान के उपयोग हेतु जारी दिशा–निर्देशों के अध्यधीन रहते हुए उक्त दिशा–निर्देशों के अन्तर्गत चिन्हित कार्यों पर ही किया जावें।

राशि के व्यय में योजना के दिशा–निर्देशों, राजस्थान उपापन पारदर्शिता अधिनियम 2012/नियम 2013 के प्रावधानों की अनुपालना अपने स्तर पर सुनिश्चित करें। इस राशि का विकलेय मद निम्न प्रकार है:–

बजट मद

2515– अन्य ग्राम विकास कार्यकम
198–ग्राम पंचायतों को सहायता
(33)–14वें वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत ग्राम पंचायतों के लिए सामान्य बुनियादी अनुदान

(राशि रूपये में)

मांग संख्या 41	मांग संख्या 30	मांग संख्या 51	
01– कार्यकलाप/गतिविधियां 12– सहायतार्थ अनुदान (गैर संवेतन) (प्रतिबद्ध)	02– कार्यकलाप/गतिविधियां 12– सहायतार्थ अनुदान (गैर संवेतन) (प्रतिबद्ध)	03– कार्यकलाप/गतिविधियां 12– सहायतार्थ अनुदान (गैर संवेतन) (प्रतिबद्ध)	योग
15104058.00	2964081.00	4414072.00	22482212.00

(अक्षरे राशि रूपये दो करोड़ चौबीस लाख बियासी हजार दो सौ बारह मात्र)

यह स्वीकृति वित्त (व्यय–5) विभाग की आई.डी.संख्या 271900273 दिनांक 16.07.2019 से प्राप्त सहमति के अनुसरण में जारी की जा रही है।

यह सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

(डा0 ऑरूषी मलिक)
विशिष्ट शासन सचिव एवं निदेशक

क्रमांक एफ 165()ले.ब./परावि/चौ.वि.आ./2019–20/ जयपुर, दिनांक

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. महालेखाकार, (लेखा एवं हक) राजस्थान जयपुर।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, विशिष्ट शासन सचिव एवं निदेशक, पंचायती राज विभाग।
4. सदस्य सचिव, पंचम राज्य वित्त आयोग, वित्त भवन, बी–ब्लॉक प्रथम तल, जनपथ, जयपुर।
5. संयुक्त सचिव वित्त (व्यय–5) विभाग।
6. संयुक्त सचिव वित्त (आर्थिक मामलात) विभाग।
7. निदेशक, स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग, वित्त भवन ज्योति नगर, जयपुर।
8. अति. निदेशक DOIT को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि **वित्त (आय–व्ययक अनुभाग) विभाग के परिपत्र दिनांक 31 जुलाई, 2019 द्वारा दिये गये निर्देशों की पालना में ई–पंचायत सॉफ्टवेयर के माध्यम से राशि हस्तांतरण की अविलम्ब कार्यवाही करवाते हुए समस्त ग्राम पंचायतों के बैंक पास बुक में "एफएफसी 2019–20 प्रथम किश्त" का अनिवार्य रूप से अकंन होना सुनिश्चित करें।** अधीक्षण अभियंता(प्रोजेक्ट) एवं रोकड शाखा से समन्वय कर तत्काल बिल बनवाया जाना सुनिश्चित करें।
9. अधीक्षण अभियंता (प्रोजेक्ट), पंचायती राज विभाग को प्रेषित कर लेख है कि एफएफसी 2019–20 प्रथम किश्त की राशि अन्तरण करने हेतु ई–पंचायत सॉफ्टवेयर के अद्यतन सत्यापित खातों की हार्डकापी/सॉफ्टकापी तत्काल उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें, ताकि बिल बनवाये जा सकें।
10. कोषाधिकारी, कोष कार्यालय, सचिवालय को प्रेषित कर लेख है कि विभाग द्वारा प्रस्तुत किये जा रहे बिलों के अनुसार ग्राम पंचायतों के बैंक खातों में पंचायतों के नाम के सम्मुख अंकित राशि संबंधित खातों में अविलंब अंतरित करवाने की व्यवस्था करावें।
11. आहरण एवं विवरण अधिकारी, पंचायती राज विभाग मुख्यालय को प्रेषित कर लेख है कि उक्त स्वीकृति के आधार पर संलग्न सूची के अनुसार बिल तैयार कर कोषालय, सचिवालय परिसर को प्रेषित करने एवं तत्काल बिल पारित कराया जाना सुनिश्चित करावें।
12. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद समस्त को प्रेषित कर निर्देश है कि उपरोक्तानुसार हस्तान्तरित होने वाली राशि के सम्बन्ध में अपने क्षेत्रस्थ विकास अधिकारीगण एवं सरपंचगण को तत्काल सूचित करवाये कि उक्त राशि का उपयोग विभाग द्वारा 14वां केन्द्रीय वित्त आयोग के तहत प्राप्त अनुदान के उपयोग हेतु जारी नवीनतम दिशा–निर्देशों के अध्यधीन रहते हुये किया जावे।
13. वरिष्ठ लेखाधिकारी/लेखाधिकारी, जिला परिषद समस्त।
14. विकास अधिकारी पंचायत समिति समस्त को प्रेषित कर निर्देश है कि उपरोक्तानुसार हस्तान्तरित होने वाली राशि के सम्बन्ध में अपने क्षेत्रस्थ सरपंच/सचिव, ग्राम पंचायत को तत्काल सूचित करवाये कि उक्त राशि का उपयोग विभाग द्वारा 14वां केन्द्रीय वित्त आयोग के तहत प्राप्त अनुदान के उपयोग हेतु जारी नवीनतम दिशा–निर्देशों के अध्यधीन रहते हुए किया जावे।
15. कम्प्यूटर सेल, विभाग की बेवसाइट पर अपलोड करने हेतु।
16. सांख्यिकी/अंकमिलान/संकलन/भुगतान/रक्षित पत्रावली।

(हरिसिंह मीणा)
वित्तीय सलाहकार